न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 01/23–24

सुमन बेसरा बनाम् रैयान मौजा–रघुनाथकित्ता

–: आदेश :–

21.07.2023

वर्तमान वाद आवेदकगण सुमन बेसरा, पे0–राम बेसरा एवं संतलाल बेसरा, पे0–पुलिस बेसरा, दोनों सा0–रघुनाथकित्ता, थाना व अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के दाखिल आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 के तहत् मौजा–रघुनाथकित्ता नं0–770 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरुप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, महागामा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक–414/रा0, दिनांक–16.03.2023 एवं पत्रांक–1055/रा0, दिनांक–02.06.2023 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि पूर्व कार्यरत प्रधान स्व0 राम बेसरा के मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उक्त प्रधानी पद रिक्त है। शपथ पत्र के माध्यम से आवेदक की माँ तथा दोनों भाई सुबोध बेसरा एवं प्रदीप बेसरा द्वारा सुमन बेसरा को प्रधान बनाने हेतु सहमति दी गई है। आवेदक संतलाल बेसरा पूर्व ग्राम प्रधान के वंशज में नहीं है।

उक्त के आलोक में संतलाल बेसरा का आवेदन खारिज किया जाता है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत, उक्त मौजा के 16 आना रैयत से किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–रघुनाथकित्ता नं0–770 का प्रधान आवेदक सुमन बेसरा को नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि उक्त मौजा का वार्षिक खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। अंचल अधिकारी, महागामा को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

(Sd/-) 21.07.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

(Sd/-) 21.07.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen 01/08/23

Seen 01/08/23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.08.02 12:40:46 +05:30
Location: 192.168.8.117

Scanned with OKEN Scanner